राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.8 (ड)(का.भा.)(25)/डीएलबी/23/4021 दिनांकः 21/3/23

आदेश

श्री बबलू मईडा अध्यक्ष व सदस्य, नगर पालिका कुशलगढ़ को विभागीय आदेश क्रमांक प. 2(च)( )जांच/डीएलबी/2022/12-22 दिनाक 02.01.2023 द्वारा निलम्बित किये जाने पर अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाने पर श्री जितेन्द्र आहारी, सदस्य वार्ड संख्या 12 नगर पालिका कुशलगढ़ को विभागीय आदेश क्रमांक 406 दिनांक 11.01.2023 द्वारा 60 दिवस अथवा अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, कार्यभार सौपा गया था।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50 (1) (i) (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त विभागीय आदेशों की निरन्तरता में श्री जितेन्द्र आहारी, नगर पालिका कुशलगढ वार्ड संख्या 12 को अध्यक्ष के पद का कार्यभार आगामी 60 दिवस अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिए अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः प.8 (ड)(का.भा.)(25)/डीएलबी/23/4022-4034 दिनांकः 21/3/23

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महो0, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. जिला कलक्टर, बांसवाडा।
5. संभागीय आयुक्त उदयपुर।
6. उपखण्ड अधिकारी बासंवाडा।
7. निदेशक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 (क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
8. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय राज0 जयपुर।
9. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर।
10. श्री जितेन्द्र आहारी, सदस्य वार्ड सं0 12 नगरपालिका कुशलगढ़।
11. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, कुशलगढ़।
12. प्रोग्रामर (आई.टी.सेल) निदेशालय को अपलोड करने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी